[September 2007]

The work of APPL in the fields of study of Disability of victims of Japanese Encephalitis in the eastern part of U.P. has been recognized by National Hindi Weekly in India “Pratham Pravakta

A Special article in a prestigious National Hindi Weekly in India “Pratham Pravakta on September 16-30,2007 issue has mentioned about the work being done by APPL.

स्वास्थ्य ढांचा ही नहीं है

डॉ. संजय श्रीवास्तव (समन्वयक ए.पी.पी.एल.)

• **अध्ययन में मूल समस्या क्या नजर आई?**

अधिकांश पीड़ित ग्रामीण परिवेश के हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर हैं। ले-देकर उन्हें झोला छाप डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक गांवों में विश्वसनीय और सर्व सुलभ स्वास्थ्य ढांचा नहीं तैयार होता, तब तक इन्हीं डॉक्टरों को उपकरणों से लैस तथा प्रशिक्षित करना होगा, ताकि मरीज कम से कम मेडिकल कॉलेज तक तो पहुंच जाएं।

• **सरकार तो समुचित इलाज का दावा कर रही है?**

अध्ययन में हमने पाया कि पीड़ितों को न दवा ठीक से मिली, न तो बचाव के लिए कोई जागरूकता अभियान ही नजर आया। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि सुअरबाड़ों व गंदे जल जमाव से दूर रहें। वे सिर्फ ये कहते हैं कि 'नउकी बीमारी फइल रहल'। पशुओं व बच्चों दोनों का टीकाकरण जरूरी है।

• **अध्ययन की सिफारिशें क्या हैं?**

सीमित संसाधनों में हमने काफी छोटे-पैमाने पर सर्वेक्षण किया। फिर भी परिणाम उत्साहवर्धक रहे। सरकार को इंसेफेलाइटिस प्रभावित क्षेत्रों का एक व्यापक अध्ययन कराना चाहिए, ताकि ठोस कार्ययोजना तैयार हो सके। वरना हम हवा में ही तीर चलाते रहेंगे।

सिकन्दर को 11 अगस्त, 2005 को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में दाखिल कराया गया था, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या ई-11268 थी। इलाज के दौरान स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को सिकन्दर जिंदगी की जंग हार गया। बालकेश्वर निषाद बताते हैं कि, 'स्वास्थ्य विभाग का बाबू कहता है, तुम्हारा बेटा जिंदा है। अभी तक जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, अब 25 हजार के लिए जिला अस्पताल के चक्कर लगा रहा हूं। नोएडा स्थित एक गैर सरकारी संगठन 'एक्शन फार पीस, प्रॉसपेरिटी एंड लिबर्टी' (ए.पी.पी. एल.) ने पिछले दिनों गोरखपुर, महराजगंज और कुशीनगर जैसे इंसेफेलाइटिस की मार से बुरी तरह प्रभावित जिलों में व्यापक सर्वे किया। ए.पी.पी.एल ने अपने सर्वे में पाया कि सरकारी सहायता से अधिकांश लोगों ने अपना कर्ज निपटाया। कुछ दवाएं भी खरीदीं। ए.पी.पी.एल. के कार्यकारी न्यासी डॉ. ए.के. श्रीवास्तव बताते हैं कि, 'सर्वेक्षण के नतीजे अनुमान से कहीं अधिक कष्टप्रद निकले।' इस अध्ययन दल के सदस्य नरेन्द्र मिश्र बताते हैं कि सरकार भले ही मुफ्त इलाज के लाख दावे करे, पर जमीनी हकीकत बेहद कड़वी है। लोग कर्ज में दबे हैं। खेत साहूकारों के यहां गिरवी पड़े हैं। महराजगंज के लक्ष्मीपुर इलाके का शंभू किसी तरह मजदूरी कर परिवार चलाता था। छह वर्षीय बेटे की विकलांगता की वजह से शंभू को प्रतिमाह दवाओं पर खर्च होने वाले 700 रुपये के लिए खेत गिरवी रखना पड़ा। शंभू के मुताबिक 'राहत राशि की पूरी रकम अदा करने के बावजूद साहूकार का अभी 4,000 रुपये का कर्ज बाकी है। महीने की दवा तो करानी ही है।' गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के निवासी विनोद यादव ने राहत राशि में से 20 हजार फिक्स कर दिया और 10 हजार की एक भैंस खरीद ली। विनोद की दलील है कि, 'दस साल से बेटा जिन्दा लाश बना हुआ है। राहत राशि से कम से कम बच्चों की देखभाल हो जाएगी।'

जाहिर है यह बात भले ही कड़वी व पीड़ादायी लगे, पर इंसेफेलाइटिस से बचे बदनसीबों के

बेबस अवशेषों को देख कर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस जिन्दगी से तो मौत ही भली है। बाल रोग विशेषज्ञ व विधान परिषद सदस्य डॉ. वाई डी सिंह सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हैं, 'लेखपाल मानसिक विकलांग बच्चों को तलाश रहे हैं। ये उन्हीं को चिह्नित करेंगे जो इनकी जेब गर्म करेंगे। सरकार सहायता के प्रति ईमानदार है तो मेडिकल कॉलेज में मरीजों की लिस्ट मौजूद है। डॉक्टरों की टीम गांव जाकर मरीजों को चिह्नित कर सकती है। वैसे इंसेफेलाइटिस से विकलांग मरीजों को पैसों की नहीं, पुनर्वास की जरूरत है।' ■■

ए.पी.पी.एल. सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- पचास फीसदी से अधिक पीड़ितों का निवास सुअरबाड़ों, धान के खेत व गंदे जल जमाव के पास है, जहां इंसेफेलाइटिस के विषाणु आसानी से पनपते हैं। 60 फीसदी ने कहा-मेडिकेटेड मच्छरदानी नहीं मिली है।
- सत्तर फीसदी शिकार 4 से 10 साल उम्र के बच्चे हैं जिनके परिवार की मासिक आय 1,000-2,000 रुपये प्रतिमाह के बीच है।
- 93 फीसदी ने रोग को शिकार होने के बाद जाना।
- 61 फीसदी को फिजियोथेरेपी नहीं मिली।
- 70 फीसदी पीड़ितों के रिश्तेदारों ने विकलांगता की वजह से मुंह मोड़ा।
- सिर्फ 10 फीसदी का ही टीकाकरण हुआ।
- 47 फीसदी लोगों ने विकलांग सहायता राशि का उपयोग पुराने कर्जों को चुकाने में किया।

Pratham Pravakta (16 – 30 September, 2007)